प्रेस विज्ञप्ति

फिक्की कास्केड और ट्रेसइट ने कोरोना वायरस संकट के दौरान अवैध उत्पादों पर दी चेतावनी

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2020 : फिक्की कास्केड (अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही तस्करी एवं जालसाजी जैसी गतिविधियों के खिलाफ कमेटी) ने अवैध कारोबार से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन (ट्रेसइट) के साथ मिलकर आज एक बयान जारी किया है, जिसमें उपभोक्ताओं को झूठे, नकली और कम मानक वाले मेडिकल, हेल्थकेयर एवं अन्य उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता और इनके खतरे के बारे में चेतावनी दी गई है।

दोनों संगठन दुनियाभर में विभिन्न सेक्टर में अवैध कारोबार के खिलाफ काम कर रहे हैं। संगठनों ने रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रभावी, नकली उत्पादों की पहुंच बढ़ी है, जिससे लोगों की सेहत के सामने खतरा पैदा हुआ है और कोविड–19 महामारी के खिलाफ लोगों के प्रयास कमजोर हो रहे हैं।

फिक्की कास्केड के चेयरमैन श्री अनिल राजपूत ने कहा, "इस अप्रत्याशित संकट के समय में अवैध वस्तुओं की बिक्री को रोकना बहुत जरूरी है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि अवैध कारोबार से बेरोजगारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है और लोगों की सेहत एवं सुरक्षा पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। मौजूदा हालात में जब पहले से गंभीर सामाजिक–आर्थिक संकट बना हुआ है, ऐसे में नकली और तस्करी कर लाए हुए उत्पादों की बिक्री से समस्या और गंभीर होगी। अपराधी अवैध उत्पादों की बिक्री से इस महामारी के दौर में लाभ न कमाने पाएं, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।"

ट्रेसइट के डायरेक्टर जनरल श्री जेफरी हार्डी ने कहा, "कोविड–19 वायरस से लोगों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों में उन्हें जाली, नकली और कम मानक वाले मेडिकल उत्पादों एवं दवाओं से बचाने के कदम भी उठाना जरूरी है। एक नकली और कम मानक वाला मास्क पहने हुए व्यक्ति के संक्रमण का खतरा ही नहीं बढ़ता है, बल्कि उसके मन की सुरक्षित होने की भावना अन्य लोगों के भी संक्रमण का खतरा बढ़ा देती है।"

दुनियाभर में रिपोर्टों में सामने आया है कि उपभोक्ताओं के डर का फायदा उठाने के लिए नकली मेडिकल उत्पादों की तादाद बढ़ गई है। इसमें इलाज के नाम पर नकली हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं भी शामिल हैं, जिससे पहले से ही खतरे की जद में चल रहे मरीजों का खतरा और बढ़ सकता है या उनकी जान भी जा सकती है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन, यूरोपोल और इंटरपोल के संयुक्त अभियान में बड़े पैमाने पर जाली और अनधिकृत फेस मास्क व हैंड सैनिटाइजर जब्त किए गए हैं।

श्री हार्डी ने कहा, "अनुमान है कि इंटरनेट पर नकली और जाली उत्पादों की उपलब्धता तेजी से बढ़ सकती है, खासकर रिटेल स्टोर बंद होने और सोशल डिस्टेंसिंग की रणनीतियों के पालन के कारण ऐसा होने की आशंका और बढ़ गई है।"

उन्होंने आगे कहा, "लोगों विशेषतौर पर सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की जरूरत है, जहां जालसाजी और नकली विज्ञापन पहले से ही बड़ी समस्या बने हुए हैं।"

भारत सरकार कोरोना वायरस के प्रयास को रोकने के लिए जनस्वास्थ्य व्यवस्था को सहयोग देने, अर्थव्यवस्था को राहत देने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार तेज प्रयास कर रही है, ऐसे में अवैध कारोबारी भी इस महामारी का पूरा फायदा उठाने में जुटे हैं। जाहिर है कि इस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से खाद्य पदार्थ, ग्रॉसरी आइटम, दवाओं, सैनिटरी व मेडिकल उत्पाद, इनडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सिगरेट, शराब आदि जैसे कई उत्पादों की आपूर्ति कम है, जिससे अवैध कारोबार वालों के लिए मौका बढ़ गया है।

फिक्की कास्केड और ट्रेसइट ने चिंता जताई है कि कोविड–19 महामारी ने आगे चलकर नकली, जाली और निम्न मानक वाले मेडिकल उत्पादों एवं दवाओं के अवैध कारोबार से लड़ने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत को और पुख्ता किया है।

फिक्की कास्केड और ट्रेसइट ने सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और ब्रांड ऑनर्स से तत्काल कदम उठाने को कहा है :

- सरकारों को कोविड–19 के लिए उठाए जा रहे आपातकालीन कदमों के दौरान धोखाधड़ी का पता लगाने को प्राथमिकता में रखना चाहिए, जाली वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए संसाधन मुहैया कराने चाहिए, ग्राहकों को विशेषतौर पर ऑनलाइन माध्यमों पर नकली और जाली उत्पादों के खतरों से आगाह करना चाहिए और कोविड–19 से संबंधित नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़े उत्पादकों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करनी चाएिह, चोरी किए हुए, टैंपर किए हुए और एक्सपायर्ड मेडिकल उत्पादों व दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ानी चाहिए और दूसरे देशों के साथ खुफिया जानकारियां और जांच के तरीके साझा करने तथा जांच में सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीति स्थापित करनी चाहिए।
- इंटरनेट ईकॉमर्स प्लेटफॉर्मों को निगरानी बढ़ानी चाहिए और कोविड–19 से जुड़े जाली व नकली उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगानी चाहिए।
- कंपनियों को असली कोविड–19 से जुड़े मेडिकल उत्पादों व दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, सप्लाई चेन में जहां भी कोई गड़बड़ हो उसके बारे में कानून प्रवर्तन इकाइयों से डाटा साझा करना चाहिए और ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में जागरूक करना चाहिए।